Witness No. ... ... 03... ... . for Prosecution evidence Deposition taken the ... ... 22.04.2025... ... ... Witness's apparent age ... 49... ... . Year States on affirmation ... ...शपथ पूर्वक... . My name is: ... रोहित कुमार वर्मा... .... My father name is ... श्री रामस्वरूप वर्मा... ... occupation: ... ... पान दुकान संचालक Address... ग्राम बरतोरी बिल्हा जिला बिलासपुर छ०ग० ... ...

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री विजेन्द्र कुमार तिवारी, अतिरिक्त लोक अभियोजक

1. मै न्यायालय मे उपस्थित आरोपिया निर्मला कौशिक एवं प्रकरण मे संलग्न गिरफतारी पत्रक मे चस्पित आरोपी मनोज कौशिक को पहचानता हूँ । मै मृतक गनपति कौशिक को भी पहचानता हूँ । आरोपीगण व मृतक मेरे ही गांव बरतोरी के निवासी है ।

2. मै कक्षा दसवीं तक पढा हूँ । घटना दिनांक 19.07.2024 के शाम समय लगभग 04.00–05.00 बजे की है । घटना के समय मै अपने पानठेला मे था । घटना स्थल मेरे पान ठेला से दिखाई देता है, घटना के समय मेरे दुकान मे बाहरी ग्राहक पान लेने खडे थे फिर जब ग्राहको ने मुझे बताया कि कोई किसी को मार रहा है तब मै पानठेला से बाहर निकल कर देखा कि आरोपी चिंटू हसिया से बार–बार गनपति को मार रहा था , मैं 5–10 मिनट घटना को होते देखा और फिर दुकान बंद कर घर चला गया । उसके कुछ देर बाद वापस घटना स्थल आया तो मुझे पता चला कि गनपति की मृत्यु हो चुकी है । घटना के समय आरोपी भूरा हरा रंग का टीशर्ट पहना था और फौजी डिजाईन की छाप वाला लोवर पहना था तथा मृतक सफेद रंग का कुर्ता

पजाना पहना था । पुलिस वाले मुझसे घटना के सबंध मे पूछताछ कर मेरा बयान लिये थे । मैंने घटना के समय जो प्रत्यक्ष रूप से देखा वही पुलिस को अपने बयान मे बताया था ।

3. घटना के लगभग 15–20 बाद मेरा बिल्हा के न्यायालय मे न्यायिक मजि०प्रथम श्रेणी में मेरा बयान लिया गया था जहॉ मैने घटना के समय जो देखा था और जो पुलिस को अपने बयान मे बताया था वही बात मैने न्यायालय मे भी बताया था । उक्त बयान **प्र०पी०–10** है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री श्रवण कुमार चंदेल अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण</u>

4. मेरा मकान ग्राम बरतोरी बस्ती मे है । मृतक गनपति के घर बाद चंद्रिका का घर उसके बाद मेरे नरेन्द्र का घर, उसके बाद आरोपी चिंटू का घर स्थित है । यह कहना सही है कि आरोपी चिंटू के पिता का नाम भूपेन्द्र उर्फ कल्लु है । यह कहना सही है कि आरोपी चिंटू और उसके पिता भूपेन्द्र उर्फ कल्लु जहॉ रहते है वह जमीन आरोपी के दादा चंद्रिका के नाम पर है । यह कहना सही है कि मृतक के घर के पीछे मेरे पिता का कोठार है । यह कहना गलत है कि मुख्य मार्ग से मेरे पिता के कोठार तक जाने के लिये वर्तमान मे कोई रास्ता है साक्षी स्वतः कहॉ कि पहले रास्ता था ।

5. यह कहना सही है कि पुलिस द्वारा घटना स्थल का नक्शा व नक्शा पंचायतनामा मे मै उपस्थित नहीं था । यह कहना सही है कि मृतक का लाश जहॉ पडा था उसके सामने मयंक मोटर बांईडिग दुकान स्थित है और उसके बगल मे पप्पू एग रोल सेंटर है । मुझे इस बात की जानकारी नही है कि पप्पू एग रोल सेंटर का मालिक का नाम परदेशी है, स्वतः कहॉ मै उसके

(आदित्य जोशी)
दशम अपर सत्र न्यायाधीश,
बिलासपुर छ0ग0

मालिक को पप्पू के नाम से जानता हूॅ । पप्पू एग रोल के आगे तिवारी जायसवाल का फल दुकान है जिसका मुॅह मुख्य सडक की ओर है । यह कहना सही है कि मयंक मोटर बाईडिग के बगल में सोसाईटी दुकान है और सोसाईटि दुकान के बगल मे आरोपी का पान दुकान है । मयंक मोटर बांईडिग आरोपी के पान दुकान के पीछे बजार बैठता है और सोसाईटी का दुकान भी है । यह कहना सही है कि सोसाईटी दुकान के बगल मेरा पान दुकान है और मेरे दुकान के सामने पिलीन्थ निर्माण पर स्टे लगा हुआ स्थान है । यह कहना सही है कि मेरे पान दुकान के अंदर बैठने पर मुझे मयंक मोटर बाईडिग दुकान दिखाई नही देता, साक्षी स्वतः कहॉ अपने पान दुकान से बाहर निकलने पर मयंग बाईडिग दुकान दिखाई देता है । यह कहना सही है कि मेरे पान ठेले के अंदर से बैठ कर समाने देखने पर सामने पिलीन्थ निर्माण पर स्टे लगा हुआ स्थान दिखाई देता है । यह कहना सही है कि घटना के समय मै अपने पान दुकान के अंदर बैठा था और मेरे दुकान मे ग्राहक खडे थे साक्षी स्वतः कहॉ कि घटना के समय मै पुरे समय दुकान के अंदर नही बैठा था घटना के होते मे ही मै दुकान के बाहर आ गया था । यह कहना सही है कि घटना कैसे शुरू हुआ मै नही देखा हूॅ ।

6. पुलिस घटना के समय लगभग आधा–एक घंटा बाद आई थी उस समय मै घर चला गया था । यह कहना सही है कि पुलिस घटना स्थल पर पहूॅच कर वहॉ क्या कार्यवाही की मै नही जानता । यह कहना सही है कि घटना के दिन पुलिस वाले को यह नही बताया कि आरोपी ने मृतक हसिये से मारडाला है । यह कहना सही है कि घटना के दुसरे दिन मै अपना पान दुकान खोला था । यह कहना सही है कि घटना के दुसरे दिन भी पुलिस वाले घटना स्थल पर आये थे और उस दिन भी मैने घटना के संबंध मे पुलिस वाले को कुछ नही बताया था साक्षी स्वतः कहॉ

(आदित्य जोशी)
दशम अपर सत्र न्यायाधीश,
बिलासपुर छ0ग0

कि उस दिन मुझसे पुलिस वाले कुछ नही पूछे थे इसलिये नही बताया था पुलिस वाले पुछते तो बताता । यह कहना सही है कि घटना के दिनांक के 3–4 दिन बाद तक पुसिल वाले जांच के लिये वहॉ पहूॅचते थे । यह कहना सही है कि इस दौरान भी पुलिस वालो को मैने घटना को देखने की बात नही बतायी थी साक्षी स्वतः कहॉ कि मुझसे पुलिस वाले पुछते तो मै बताता ।

7. यह कहना सही है कि घटना दिनांक 19.07.2024 से 08.08.2024 तक मैने पुलिस वाले को घटना होते देखने की बात नही बतायी थी मैने यह बात मन मे रखी थी । यह कहना सही है कि पुलिस वाले मुझे पूछताछ के लिये नोटिस नही दिये थे साक्षी स्वतः कहॉ कि मै स्वयं होकर पुलिस वाले को घटना को देखे जाने की बात बतायी थी ।

8. यह कहना गलत है कि मेरा आरोपी चिंटू उर्फ मनोज कौशिक से कोई दुश्मनी है । यह कहना सही है कि घटना दिनांक के दो माह पहले मेरे पैरावट मे आरोपी चिटू द्वारा आग लगाये जाने के कारण आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट लिखाया था ।

9. प्रश्न– घटना दिनांक 19.07.2024 से 08.08.2024 तक पुलिस को घटना को प्रत्यक्ष देखने की बात आपने किस लिये नही बताया था?

उत्तर– मैं घटना से दहशत मे था ।

10. यह कहना सही है कि घटना दिनांक 19.07.2024 से 08.08.2024 तक के दौरान मैं अपने पान दुकान आना–जाना करता था और गांव वालो से बातचीत करता था । यह कहना गलत है कि मैने घटना होते नही देखा था इसलिये पुलिस वाले को इतने दिन तक घटना देखे जाने की बात नही बताई थी । यह कहना सही है कि आरोपी चिंटू को पुलिस वाले घटना दिनांक को ही पकड कर जेल मे डाल दिये थे ।

(आदित्य जोशी)
दशम अपर सत्र न्यायाधीश,
बिलासपुर छ0ग0

11. प्रश्न– घटना दिनांक को ही जब आरोपी चिंटू गिरफतार हो गया था तब आपको आरोपी से किस बात का भय था?

उत्तर– आरोपी घटना के समय मृतक को मारने के बाद कहॉ था कि अभी चार लोग और बाकी है इसलिये मै दहशत मे था ।

12. यह कहना सही है कि मै घटना के समय आरोपी चिंटू द्वारा चार और लोगो को मारने की बात मैने अपने पुलिस बयान मे नही बताया है । यह कहना गलत है कि आरोपी चिंटू ने मेरे पैरावट मे आग लगा दिया था इसी दुश्मनी के कारण मै उसके विरूद्ध झुठा कथन कर रहा हूॅ । यह कहना गलत है कि पुलिस ने मुझे डराया कि अगर मैं आरोपी के विरूद्ध बयान नही दूॅगा तो वह मूझे जेल मे डाल देगे । यह कहना गलत है कि पुलिस ने मुझे कहॉ कि अगर मै आरोपी चिंटू के विरूद्ध बयान दोगे तो मै आरोपी चिंटू के विरूद्ध आगजनी का भी केस बनायेगे । यह कहना गलत है कि मै यदि मै दहशत मे होता तो अपना दैनिक कार्य नही करता । यह कहना सही है कि वर्तमान मे आरोपी चिंटू के पिता की मृत्यु हो गई है और उसके घर मे ताला लगा रहता है ।

13. यह कहना सही है कि मेरा मृतक गनपति के घर वालो से मेरा अच्छा संबंध है । यह कहना गलत है कि मै मृतक के परिजन से मिल कर आरोपी को झुठा फसा उसके घर मे कब्जा करने की नियत से झुठा कथन कर रहा हूॅ ।

साक्षी को पढकर सुनाया गया ।
सही होना स्वीकार किया ।

मेरे निर्देश पर टंकित किया ।

सही/–
(आदित्य जोशी)
दशम अपर सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर छ०ग०

सही/–
(आदित्य जोशी)
दशम अपर सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर छ०ग०

साक्षी का हस्ताक्षर ... ...

(आदित्य जोशी)
दशम अपर सत्र न्यायाधीश,
बिलासपुर छ0ग0